प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 77/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने ''फिक्स्ड लाइन एवं मोबाइल सेवाओं के लिए एकीकृत नंबरिंग प्लान का विकास करना'' पर परामर्श पत्र जारी किया।

नई दिल्ली, 20 सितंबर, 2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज ''फिक्स्ड लाइन एवं मोबाइल सेवाओं के लिए एकीकृत नंबरिंग प्लान का विकास करना'' पर परामर्श पत्र जारी किया।

1. दूरसंचार क्षेत्र नए नेटवर्क ढ़ांचे तथा सेवाओं के प्रादुर्भाव से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। दूरसंचार प्रौद्योगिकीयों में उन्नति के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए सेवाएं बेहतर, तीव्र तथा सस्ती हो गई हैं वहीं अब किसी भी उपकरण से कभी भी तथा कहीं भी सेवाएं प्रदान करना संभव है। इस सर्वव्यापकता को प्राप्त करने के लिए, अंतिम उपयोगकर्ताओं की पहचान करने तथा उनमें भेद करने के लिए उपयोग किया जाता है। नम्बरिंग योजना, दूरसंचार नेटवर्कों के कार्यकरण को अभिशासित करने वाली योजना के साथ– साथ स्विचिंग, राउटिंग, ट्रांसमिशन, चार्जिंग तथा सिंक्रोनाइजेशन एक महत्वपूर्ण 'मूलभूत योजना' है।

2. दूरसंचार विभाग दूरसंचार मानकीकरण क्षेत्र (आईटीयू–टी) की सिफारिशों के अनुरूप ई.164 सीरीज़ के आधार पर फिक्स्ड लॉइन तथा मोबाइल नेटवर्क को प्रशासित करता है। यह आईटीयू–टी की सिफारिशें ''अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक दूरसंचार नम्बरिंग प्लान'' का ब्योरा देता है तथा अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक दूरसंचार के लिए उपयोग किए जाने वाले नम्बर के ढ़ांचे तथा कार्यकरण को विहित करता है।

3. भारत में, राष्ट्रीय नंबरिंग प्लान 2003 के निर्माण के साथ 2003 में नंबरिंग प्लान की महत्वपूर्ण समीक्षा शुरू की गई थी। इस प्लान में 750 मिलियन टेलीफोन कनेक्शनों – 450 मिलियन सेल्युलर मोबाइल और 300 मिनियन बेसिक फोन के लिए नंबरिंग स्पेस बनाया गया था। राष्ट्रीय नंबरिंग प्लान (एनएनपी) 2003 को 2030 तक 50 प्रतिशत टेली–घत्नव की प्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखकर तैयार किया गया था। 2030 तक प्रत्याशित 450 मिलियन सेल्युलर मोबाइल कनेक्शन को 2009 में पहले ही हासिल कर लिया गया है।

4. राष्ट्रीय नंबरिंग प्लान के 16 वर्ष की अवधि के बाद, सेवाओं की रेंज में वृद्धि और कनेक्शनों खासकर मोबाइल सेगमेंट में कनेक्शनों की संख्या में भारी वृद्धि के कारण नंबरिंग संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता के लिए चुनौती खड़ी हो गई है। भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या जून, 2019 के अंत तक 1186.63 मिलियन और टेली–घनत्व 90.11 प्रतिशत है।

5. भादूविप्रा को दूरसंचार विभाग से 08.05.2019 को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 2018 पर उससे सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसमें अन्य के साथ–साथ ''फिक्स्ड लाइन एवं मोबाइल सेवाओं के लिए एकीकृत नंबरिंग प्लान का विकास करके पर्याप्त नंबरिंग संसाधन सुनिश्चित करना'' शामिल है।

6. यह परामर्श की प्रक्रिया, राष्ट्रीय नम्बरिंग प्लान को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण करने तथा ऐसे तरीकों की पहचान करने के लिए आरंभ की गई है जिससे पर्याप्त नम्बरिंग संसाधनों को सुनिश्चित करने के लिए नम्बरिंग संसाधनों का

प्रबंधन किया जाना चाहिए तथा आंबटन नीति का प्रबंधन किया जाए। इसमें कवर किए गए मुद्दों में नम्बरिंग योजना की उपयुक्तता, एकीकृत नम्बरिंग योजना, नम्बरों का कुशल उपयोग तथा कुशल आबंटन मानदंड शामिल हैं।

7. परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है। हितधारकों से लिखित टिप्पणियां 21.10.2019 तक और प्रति–टिप्पणियां, यदि कोई हों, 4.11.2019 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

8. टिप्पणियां व प्रति–टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेलः– pradvnsl@trai.gov.in या rksingh@trai.gov.in पर भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री यू. के. श्रीवास्तव, प्रधान सलाहकार (एनएसएल) से टेलीफोन/फैक्स नंबर +91–11–23233291 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।